56

"ANNEXURE-[illegible]"

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला भू-अर्जन कार्यालय, सारण, छपरा)

पत्रांक [illegible] भू0अ0, दिनांक [illegible]

प्रेषक,

समाहर्ता,
सारण, छपरा।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

विषय छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक से बस स्टैण्ड तक प्रस्तावित टबल डेकर फ्लाई ओवर हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में।

प्रसंग अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-1120/भू0अ0, दिनांक-09.10.2019 के आलोक में निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक-1230/रा0, दिनांक-20.12.2019 के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि छपरा शहरी क्षेत्रान्तर्गत भिखारी ठाकुर चौक से बस स्टैण्ड तक प्रस्तावित टबल डेकर फ्लाई ओवर अंतर्गत एक भाग जो गाँधी चौक से नगरपालिका चौक तक कुल 1150 मीटर है, जिसमें लगभग 0.61 एकड़ भूमि जो कि असर्वेक्षित है, उसपर कार्य प्रारंभ करने हेतु वरीय परियोजना अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, सारण प्रमण्डल, छपरा द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-1230/रा0, दिनांक-20.12.2019 द्वारा असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड को "सरकारी प्रकृति" की भूमि बताते हुए तद्नुरुप रैयती दावों का निष्पादन राजस्व विभाग के संकल्प सं0-925, दिनांक 11.11.2014 की कंडिका 3 (घ एवं छ) में वर्णित प्रावधानों के तहत करने का मार्गदर्शन प्रदान किया गया है एवं यह बताया गया है कि विधि विभाग, बिहार सरकार एवं महाधिवक्ता, बिहार द्वारा दिये गये परामर्श, ..."It is beyond question that the bed of a public navigable river and the Ganga undoubtedly belongs to that category, is presumed to be the property of the Government, and not that of a private person." के अनुरुप असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है एवं इस संबंध में विभागीय संकल्प सं0-925/रा0, दिनांक-11.11.2018 की कंडिका (घ एवं छ) में वर्णित प्रावधानों के अनुरुप कारवाई करने का निदेश दिया गया है।

उक्त मार्गदर्शन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक-13.03.2020 को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, छपरा तथा बिहार राज्य

पुल निर्माण निगम के अधिकारी/अभियंता के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि असर्वेक्षित भूमि के रैयती दावों के निष्पादन के लिए किसी प्रकार की व्यवस्थागत प्रावधान का उल्लेख संदर्भित विभागीय संकल्प में वर्णित नहीं है।

इस संबंध में भवदीय को यह भी अवगत कराना है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के स्तर पर कराये गये प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार छपरा शहर के उक्त भू-भाग अर्थात गांधी चौक से नगरपालिका चौक के बीच लगभग 295 आवासीय एवं व्यवसायिक भवन अवस्थित हैं।

अतः वर्णित परिस्थिति में संदर्भित परियोजना हेतु उक्त असर्वेक्षित भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर पर अपेक्षित निर्णय लेने के निमित्त आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि उक्त भूखंड पर डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/06/20

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

10/06/2020

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

अपर समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1440 /भू०अ०, दिनांक 11.06.2020

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः वरीय परियोजना अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/06

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

10/06/2020

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

अपर समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।